न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 980 सन 2020
अनवान :–

1. बनवारीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनफुल पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. रेशमा पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
4. सरस्वती पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. सुनिता पत्नी पुर्णाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. ललित कुमार पुत्र पूर्णाराम नाबालिग जरिये बली माता सुनिता पत्नी पूर्णाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
7. निरू पुत्री पुर्णाराम नाबालिग जरिये बली माता सुनिता पत्नी पुर्णाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
8. सोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
10. पतराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खता संख्या 349/218 की कुल 9.1070हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

तेजाराम पुत्र मलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्रों में विरास्तन से भूमि दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो तेजाराम का पुत्र है के नाम उसके हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज हुई जिसके वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया हुए मनफुल का एक पुत्र पूर्णाराम का देहान्त हो चुका है अर्थात वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 हकदार है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवाादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं काफी वृद्व है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 5 वादी की ननद है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 , 8 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्वात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खताा संख्या 349/218 की कुल 9. 1070हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

तेजाराम पुत्र मलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्रों में विरास्तन से भूमि दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो तेजाराम का पुत्र है के नाम उसके हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज हुई जिसके वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया हुए मनफुल का एक पुत्र पूर्णाराम का देहान्त हो चुका है अर्थात वाद भूमि के वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 हकदार है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवाादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं काफी वृद्व है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 5 वादी की ननद है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 , 8 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खताा संख्या 349/218 की कुल 9.1070हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि तेजाराम वल्द मलाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा तेजाराम वल्द मलाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पोते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खताा संख्या 349/218 की कुल 9.1070हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिहब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बनवारीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मनफुल पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. रेशमा पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
4. सरस्वती पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. सुनिता पत्नी पुर्णाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. ललित कुमार पुत्र पूर्णाराम नाबालिग जरिये बली माता सुनिता पत्नी पूर्णाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
7. निरू पुत्री पुर्णाराम नाबालिग जरिये बली माता सुनिता पत्नी पुर्णाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
8. सोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
10. पतराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 980 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 349/218 की कुल 9.1070हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)